[2010] 14 (अतिरिक्त) एस.सी.आर. 763

भगवान बुद्ध प्राथमिक तकनीकी प्रशिक्षण महाविद्यालय निर्मली

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

(2010 की दीवानी अपील सं. 9896)

23 नवंबर, 2010

**[आर. वी. रवीन्द्रन और एच. एल. गोखले, न्यायमूर्तिगण]**

*प्रशासनिक कानून: प्रशासनिक आदेश - वापस लेने की शक्ति - अभिनिर्धारित: आदेश जारी करने की शक्ति में उसे वैध कारणों से वापस लेने की शक्ति भी शामिल है। - यदि कोई प्रशासनिक आदेश किसी की अपनी शक्ति की गलत धारणा पर आधारित है और यदि वह मामले की जड़ तक जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी निश्चित रूप से वैध कारणों से इसकी समीक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा किया जाता है, तो वापसी को दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है। - वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता-संस्था को मान्यता देने वाला पिछला आदेश राज्य सरकार की शक्तियों के बाहर था, इसलिए, सरकार द्वारा बाद के आदेश द्वारा उसे रद्द करना बिल्कुल सही था। - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 - शिक्षा / शैक्षणिक संस्थान।*

*राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993:*

*अधिनियम का उद्देश्य-अभिनिर्धारित: यह अधिनियम पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के लिए योजनाबद्ध और समन्वित विकास को प्राप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया था - यह अधिनियम अध्यापक शिक्षा प्रणाली - शिक्षा / शैक्षिक संस्थान में मानदंडों और छात्रों के विनियमन और उचित संचालन के लिए भी पारित किया गया था।*

*धारा 14 और 16 - अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता देने की शक्ति - अभिनिर्धारित: अधिनियम के तहत नियत दिन के बाद एनसीटीई के पास निहित - धारा 14 का प्रावधान, हालांकि, अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले ऐसे मौजूदा संस्थान को मान्यता के लिए नियत दिन से छह महीने की अवधि के भीतर*

*एनसीटीई की क्षेत्रीय समिति को आवेदन करने की अनुमति देता है - अपीलकर्ता संस्थान ने ऐसा कोई आवेदन नहीं किया - इसलिए, राज्य सरकार को अपीलकर्ता को पहले की अवधि के लिए मान्यता देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह शक्ति नियत दिन के बाद एनसीटीई के पास निहित थी।*

**1987 में, अपीलकर्ता संस्थान ने एक अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की और राज्य सरकार द्वारा उसके पाठ्यक्रम के अनुमोदन/मान्यता प्राप्त होने तक छात्रों को प्रवेश देना जारी रखा। इसके बाद, अपीलकर्ता ने राज्य सरकार को मान्यता प्रदान करने का निर्देश देने हेतु एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने छात्रों को अपने जोखिम पर परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए कहा कि केवल इस आधार पर उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलेगा और उनके परिणाम मान्यता प्रदान होने के बाद ही प्रकाशित किए जाएँगे। तदनुसार, छात्र जनवरी 1991 में परीक्षा में शामिल हुए। हालाँकि, राज्य सरकार ने मान्यता के पहलू पर अपना निर्णय नहीं दिया। 28.5.1995 को, शिक्षा विभाग के निदेशक ने 1987 से 1995-97 तक अनुमोदन प्रदान करने की अनुशंसा की। इस बीच, अपीलकर्ता और उसके छात्रों द्वारा कई विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाएँ दायर की गईं, जिनका निपटारा सरकार को मान्यता के पहलू पर निर्णय देने के निर्देश के साथ किया गया।**

**1.7.1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 लागू हुआ। अपीलकर्ता ने इसके तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उसने मान्यता प्रदान करने का निर्णय लेने के लिए 5.8.2005 को सरकार के समक्ष केवल एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे छात्रों ने एक और विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सरकारी अधिवक्ता के इस कथन के मद्देनजर कि मान्यता प्रक्रियाधीन है, उनकी अपील का निपटारा कर दिया। तदनुसार, अपीलकर्ता ने उसी दिन अर्थात् 13.2.2007 को शिक्षा आयुक्त के समक्ष उक्त आदेश की ओर संकेत करते हुए एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद आयुक्त ने 16.3.2007 को एक आदेश ज्ञापन जारी किया जिसमें उन्होंने दर्ज किया कि एनसीटीई अधिनियम के मद्देनजर, राज्य सरकार को अनुमोदन/मान्यता प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन, चूँकि निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया जाना चाहिए था, इसलिए उन्होंने सिफारिश की कि महाविद्यालय को 1987-89 से मान्यता प्राप्त माना जा सकता है। परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए थे। अपीलकर्ता ने एक और विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इस आधार पर**

विनिर्दिष्ट आदेश याचिका खारिज कर दी कि एनसीटीई अधिनियम की धारा 14 और 16 के तहत, शिक्षक प्रशिक्षण देने वाले संस्थान को अधिनियम लागू होने के छह महीने के भीतर एनसीटीई से मान्यता के लिए आवेदन करना होता है और चूँकि अपीलकर्ता ने नियत तिथि (एनसीटीई अधिनियम के तहत) के बाद ऐसा आवेदन नहीं किया था, इसलिए उसके छात्र परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं थे।

अपीलकर्ता ने उक्त आदेश के विरुद्ध एलपीए दायर किया। इस बीच, राज्य सरकार ने 16.3.2007 के आदेश ज्ञापन की समीक्षा की और 2.9.2008 के आदेश द्वारा उसे रद्द कर दिया। खंडपीठ ने पाया कि 16.3.2007 का आदेश, 2.9.2008 के बाद के आदेश द्वारा वापस ले लिया गया था। खंडपीठ ने 12.11.2008 को एलपीए खारिज कर दिया। एलपीए खारिज करते हुए, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश अपीलकर्ता को स्वतंत्र मूल कार्यवाही के माध्यम से 2.09.2008 के आदेश की वैधता को चुनौती देने से नहीं रोकेगा।

तदनुसार अपीलकर्ता ने 02.09.2008 के आदेश को चुनौती देने के लिए एक और विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की। खंड पीठ ने कहा कि शिक्षा का विषय सूची संख्या III (भारत के संविधान की 7 वीं अनुसूची में समवर्ती सूची) में प्रविष्टि संख्या 25 पर सूचीबद्ध था और इसलिए, एनसीटीई अधिनियम वैध था और केंद्र सरकार की शक्तियों के भीतर था। खंड पीठ ने माना कि एनसीटीई अधिनियम के लागू होने के बाद, राज्य सरकार के पास मान्यता देने की कोई शक्ति नहीं थी और इसलिए, मान्यता के लिए पहले की सिफारिश को रद्द करने के आदेश को अवैध नहीं कहा जा सकता था। याचिका को 9.2.2009 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। वर्तमान अपीलें 12.11.2008 और 09.02.2009 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थीं।

अपीलकर्ता पर लगाए गए जुर्माने को हटाने के लिए संशोधन सहित अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि 1. आदेश जारी करने की शक्ति में वैध कारणों से उसे वापस लेने की शक्ति भी शामिल है। वर्तमान मामले में, राज्य सरकार के 16.03.2007 के आदेश में दर्ज किया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (एनसीटीई अधिनियम) के लागू होने के बाद, मान्यता से संबंधित मामलों पर विचार करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। फिर भी, यह आगे दर्ज किया गया कि चूंकि निरीक्षण प्रतिवेदन के मद्देनजर अनुमोदन दिया जाना चाहिए था, इसलिए महाविद्यालय को 1987-89

से 1995 तक मान्यता प्राप्त माना जा सकता है। वापसी के बाद के आदेश दिनांक 02.09.2008 में, यह नोट किया गया कि एनसीटीई अधिनियम, 1993 के लागू होने के बाद, मान्यता देने का अधिकार राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के पास नहीं था और इसी कारण से राज्य सरकार ने 16.03.2007 के पहले के आदेश को वापस ले लिया था। यदि कोई प्रशासनिक आदेश किसी की अपनी शक्ति की गलत धारणा पर आधारित है और यदि वह मामले की जड़ तक जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी निश्चित रूप से वैध कारणों से इसकी समीक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा किया जाता है, तो इसे वापस लेना दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता। अपीलकर्ता ने सरकार के दिनांक 2.9.2008 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके दिनांक 16.3.2007 के पूर्व आदेश को वापस ले लिया गया था, और दिनांक 2.9.2008 के आदेश को उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 9.2.2009 के बाद के आदेश द्वारा अप्रभावित छोड़ दिया था, इसलिए उस समय पारित विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में पूर्व आदेशों के आधार पर प्रस्तुत निवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता, जब दिनांक 16.3.2007 का पूर्व आदेश विद्यमान था। [कंडिका 19) [778-बी-एफ]

*सुनील कुमार परिमल एवं एक अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य* ***2007 (10) एससीसी 150 - संदर्भित।***

2.1. 1995 से पहले, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) लगभग 1973 से "अध्यापक शिक्षा" के विकास और प्रगति की देखरेख हेतु एक सरकारी सलाहकार निकाय (न कि एक अलग संस्था) के रूप में अस्तित्व में थी। उस समय एनसीटीई राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) का एक विभाग मात्र था। 1973 से अपनी पूर्व स्थिति में, एनसीटीई, अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय था, जिसका सचिवालय एनसीईआरटी के अध्यापक शिक्षा विभाग में था। शैक्षणिक क्षेत्र में अपने सराहनीय कार्यों के बावजूद, यह अध्यापक शिक्षा के मानकों को बनाए रखने और दोयम दर्जे के अध्यापक शिक्षा संस्थानों के प्रसार को रोकने हेतु आवश्यक नियामक कार्य नहीं कर सका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 और उसके अंतर्गत कार्य योजना में, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन हेतु पहले कदम के रूप में एनसीटीई को वैधानिक दर्जा और आवश्यक संसाधन प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। एनसीटीई अधिनियम 1.7.1995 को लागू हुआ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक वैधानिक निकाय के रूप में एनसीटीई अधिनियम, 1993 के अनुसरण में 17.8.1995 को अस्तित्व में आई। [कंडिका 22) [781-सी-एच]

2.2. एनसीटीई अधिनियम पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास हेतु अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और छात्रों के नियमन और उचित रखरखाव के लिए भी पारित किया गया था। अधिनियम की धारा 14 और 16 इसी उद्देश्य से अधिनियमित की गई हैं, और नियत तिथि के बाद शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता एनसीटीई को प्रदान की जाती है। अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले प्रत्येक संस्थान को नियत तिथि के बाद एनसीटीई की क्षेत्रीय समिति से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। राज्य सरकार नियत तिथि के बाद उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। अधिनियम की धारा 2(क) के अंतर्गत 'नियत तिथि' को एनसीटीई की स्थापना की तिथि के रूप में परिभाषित किया गया है। नियत तिथि के बाद, राज्य सरकार अपीलकर्ता संस्थान के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती थी और न ही उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर सकती थी। किसी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों को नियत दिन के बाद मान्यता नहीं दी जा सकती, जब तक कि संस्थान को एनसीटीई की क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता प्राप्त न हो। एनसीटीई अधिनियम के प्रावधानों को उन बच्चों की शिक्षा के हित में पूरी ताकत से लागू किया जाना चाहिए जिन्हें ये शिक्षक बाद में पढ़ाएंगे, स्वयं शिक्षक-अभ्यर्थियों के लिए, और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में उचित मानक और मानदंड लाने के लिए। राज्य सरकार को अपीलकर्ता को पहले की अवधि के लिए मान्यता देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नियत दिन के बाद यह शक्ति एनसीटीई में निहित है। हालाँकि, अधिनियम की धारा 14 का प्रावधान अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले ऐसे मौजूदा संस्थान को मान्यता के लिए नियत दिन से छह महीने की अवधि के भीतर एनसीटीई की क्षेत्रीय समिति में आवेदन करने की अनुमति देता है। शिक्षक बनने के प्रशिक्षण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलू शामिल हैं; और प्रदर्शन का मूल्यांकन इन दोनों पहलुओं पर किया जाना है। केवल सैद्धांतिक परीक्षा पर्याप्त नहीं होगी। वर्तमान मामले में, संस्थान पहले ही बंद हो चुका है। बोर्ड इतने वर्षों के बाद छात्रों के दावों (उनके व्यावहारिक प्रशिक्षण से संबंधित प्रविष्टियों सहित) की वास्तविकता और प्रमाणिकता का पता नहीं लगा सकता है, ताकि उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सके। एनसीटीई द्वारा यह भी पता नहीं लगाया जा सका कि अपीलकर्ता संस्थान में उस समय क्या सुविधाएँ उपलब्ध थीं। इस प्रकार, अपीलकर्ता के छात्रों को बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि अपीलकर्ता के पास न तो राज्य सरकार से और न ही एनसीटीई से मान्यता है। [कंडिका 20, 21, 22, 26, 28] [779-ए-जी-एच; 784-सी-डी; 781-बी; 785-डी-ई]

*एल. मुथुकुमार एवं एक अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य* **2000 (7) धारा 618 - अवलम्बित।**

*ज़ाकिर हुसैन प्राथमिक शिक्षा बनाम बिहार राज्य* **2010(12) धारा 517 - विशिष्ट**

*एन.एम. नागेश्वरम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* **1986 अनुपूरक एससीसी 166**; *सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (महिलाओं के लिए), मदुरै और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य* **1993 (3) एससीसी 595**; *महाराष्ट्र राज्य बनाम विकास साहेबराव रौंदले* **1992 (4) एससीसी 435 - संदर्भित।**

**3. अपीलकर्ता संस्थान में वास्तविक रूप से शामिल होने वाले छात्रों की पीड़ा स्पष्ट है। अपीलकर्ता संस्थान एक पिछड़े क्षेत्र में है और छात्र समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से आते हैं। ऐसे छात्रों को पढ़ाने का दावा करने वाले संस्थान को और अधिक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और अधिक सावधान और मेहनती होना चाहिए। जब 1995 में एनसीटीई अधिनियम लागू हुआ, तो संस्थान को निर्धारित समय के भीतर संबंधित अधिकारियों को सावधानीपूर्वक आवेदन करना चाहिए था। इसके तहत ऐसा न करने पर, यह अपीलकर्ता संस्थान है जो छात्रों की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। एनसीटीई अधिनियम के लागू होने से पहले भी, उच्च न्यायालय के 3.11.1990 के आदेश के बावजूद, अपीलकर्ता ने 27.3.1993 तक राज्य सरकार को संस्थान के निरीक्षण के लिए आवेदन और निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक विवरण प्रस्तुत नहीं किए। छात्रों ने भी 1998 में विलम्ब से 24.1.1991 को आयोजित 1987-1989 बैच की परीक्षा (जो उच्च न्यायालय के दिनांक 3.11.1990 के आदेश के अनुसरण में आयोजित की गई थी) के परिणाम घोषित करने के लिए विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर करके अपनी समस्या का समाधान चाहा। जब यह याचिका दायर की गई, तब तक एनसीटीई अधिनियम 1.7.1995 को लागू हो चुका था। इस प्रकार, अपीलकर्ता और छात्र भी अपने मामले को आगे बढ़ाने में तत्पर नहीं थे, जिसके कारण बताए नहीं गए हैं। छात्रों के भाग्य के लिए केवल राज्य सरकार को उसकी प्रारंभिक निष्क्रियता के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फिर भी, अपीलकर्ता पर 30,000/- रुपये का जुर्माना लगाने वाले आक्षेपित आदेश के भाग की आवश्यकता नहीं थी। इसे हटा दिया गया है। [कंडिका 29, 30] [786-बी-एच; 787-ए-बी]**

**नजीर संदर्भः**

**2007 (10) एससीसी 150 संदर्भित कंडिका 20**

**2010(12) एससीसी 517 विशिष्ट कंडिका 23**

**1986 पूरक एससीसी 166 संदर्भित कंडिका 24**

**1993 (3) एससीसी 595 संदर्भित कंडिका 24**

**2000 (7) एससीसी 618 संदर्भित कंडिका 24**

**1992 (4) एससीसी 435 संदर्भित कंडिका 24**

दीवानी मूल क्षेत्राधिकार : 2010 की दीवानी अपील सं. 9896

एलपीए संख्या 780/2007 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2008 के निर्णय एवं आदेश से।

साथ में

2010 की दीवानी अपील सं. 9897

अपीलकर्ताओं के लिए के. वी विश्वनाथन, नीरज शेखर, आशुतोष ठाकुर, शिशिर पिनाकी, रवि सी. प्रकाश और सी. डी. सिंह।

उत्तरदाताओं के लिए गोपाल सिंह, मनीष कुमार, लक्ष्मी रमन सिंह, अमितेश कुमार, रवि कांत, अनूप कुमार और अमित पवन।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति **गोखले** द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इन दोनों अपीलों में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (जिसे आगे 'एनसीटीई अधिनियम' कहा जाएगा) के लागू होने के बाद, राज्य सरकारों के पास शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले महाविद्यालयों को मान्यता देने का अधिकार है, और क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संक्षेप में एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त न होने वाले महाविद्यालयों के छात्रों को शिक्षक बनने के लिए अपेक्षित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। चूँकि ये दोनों अपीलें एक ही संस्थान द्वारा दायर की गई हैं, इसलिए इनका निपटारा एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

3. इन दोनों मामलों का एक जटिल वाद-इतिहास रहा है। इनसे संबंधित कई दौर की न्यायिक कार्यवाहियाँ हुई हैं, जिन्हें नीचे अंकित किया जा रहा है।

4. अपीलकर्ता का दावा है कि यह संस्था अल्पसंख्यक बौद्ध धार्मिक समुदाय द्वारा स्थापित है। अपीलकर्ता ने वर्ष 1987 में निर्मली, जिला सुपौल (बिहार) में एक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की थी। उसका दावा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, प्राथमिक शिक्षा, पटना को (दिनांक 13.02.1987 के पत्र द्वारा) अपीलकर्ता को यह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुमति जारी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, अपीलकर्ता ने प्राथमिक शिक्षक बनने हेतु छात्रों के प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने पाठ्यक्रम की स्वीकृति/मान्यता प्राप्त होने तक छात्रों को प्रवेश देना शुरू कर दिया।

5. अपीलकर्ता ने मान्यता के आदेश का तीन साल से अधिक समय तक इंतजार किया और उसके बाद पटना उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 5084/1990 के तहत एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर कर राज्य सरकार को मान्यता प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की। याचिका में दो प्रार्थनाएँ की गई थीं। पहला, राज्य सरकार को मान्यता संबंधी मामले पर विचार करने और अंतिम रूप से निपटाने का निर्देश, और दूसरा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संक्षेप में-बोर्ड) को अपीलकर्ता संस्थान के छात्रों को आगामी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश। अपीलकर्ता ने दावा किया कि इस बीच उसके छात्रों के दो बैच, यानी 1987-89 और 1988-90, ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 3.11.1990 के अपने आदेश के तहत उस याचिका पर तीन निर्देश जारी किए:

*(i) राज्य सरकार को संस्था की मान्यता के प्रश्न पर किसी न किसी रूप में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, तथा*

*(ii) बोर्ड को, यदि वह दोनों बैचों के छात्रों के दावों की सत्यता और वास्तविकता से संतुष्ट हो, तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया।*

*(iii) अपीलकर्ता महाविद्यालय के सचिव को भी आदेश की तिथि से 10 दिनों के भीतर अपने छात्रों (प्रत्येक सत्र के लिए 100 से अधिक नहीं) का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि*

*परीक्षा में बैठने वाले छात्र अपने जोखिम पर परीक्षा देंगे और केवल इसी आधार पर उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उनके परिणाम तब तक प्रकाशित नहीं किए जाएँगे जब तक कि संस्थान की मान्यता के प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले लिया जाता, और परिणामों का प्रकाशन मान्यता मामले में अंतिम निर्णय के अनुसार होगा, अर्थात, परिणाम केवल मान्यता प्रदान किए जाने की स्थिति में ही प्रकाशित किए जाएँगे।*

6. तदनुसार, अपीलकर्ता संस्था के छात्र जनवरी 1991 में बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हुए। हालांकि, मान्यता के पहलू पर राज्य सरकार का निर्णय आगामी नहीं था, और इसलिए अपीलकर्ता संस्था ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 293/1992 के तहत दूसरी विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की। जब इस विनिर्दिष्ट आदेश याचिका पर सुनवाई हुई, तो उत्तरदाताओं की ओर से बताया गया कि अपीलकर्ता ने अभी तक निरीक्षण और मान्यता प्रदान करने के लिए उचित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, और अन्य आवश्यकताएं भी पूरी नहीं की गई हैं। इस स्थिति को देखते हुए, खंड पीठ ने इस संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया। हालांकि, इसने अपीलकर्ताओं को उचित प्रारूप में नए सिरे से आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की, जिस पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार विचार किया जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा। इस प्रकार, इस याचिका का निपटारा 28.8.1992 के आदेश द्वारा किया गया।

7. अपीलकर्ता का मामला यह है कि उन्होंने 27.03.1993 को आवेदन के साथ आवश्यक विवरण प्रस्तुत किया था, जिसके बाद 27.11.1994 को एक अनुस्मारक भेजा गया, जिसमें आवश्यक अनुमोदन के लिए संस्थान का निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया था।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि तदनुसार निरीक्षण किया गया और शिक्षा विभाग के अनुसंधान एवं विकास निदेशक द्वारा 28.05.1995 को अनुमोदन प्रदान करने की अनुशंसा करते हुए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई। उन्होंने 1987 से 1995-97 तक अनुमोदन प्रदान करने की अनुशंसा की। एक अन्य तीन सदस्यीय समिति ने एक और निरीक्षण किया और सरकार के विशेष सचिव को इसी प्रकार की अनुशंसा की।

9. चूँकि मान्यता अभी भी नहीं मिली थी, इसलिए कुछ छात्रों, जैसे विद्यानंद चौपाल और अन्य ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 517/1998 के तहत एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की और 1987-89 के प्रशिक्षण सत्र के लिए 24.01.1991 को आयोजित परीक्षा के लिए

उनके परिणाम घोषित करने हेतु परमादेश की विनिर्दिष्ट आदेश की प्रार्थना की। मामले की सुनवाई करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि सीडब्ल्यूजेसी संख्या 5084/1990 में दिनांक 3.11.1990 के पूर्व आदेश के बावजूद महाविद्यालय को मान्यता नहीं दी गई थी, जिसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि मान्यता प्रदान किए जाने तक परिणाम घोषित नहीं किए जा सकते। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 28.01.1998 के आदेश द्वारा इस तीसरी विनिर्दिष्ट आदेश याचिका का निपटारा कर दिया और सरकार को मान्यता के प्रश्न पर अंतिम आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

10. इस बीच, एनसीटीई अधिनियम 1.7.1995 को लागू हो चुका था, लेकिन अपीलकर्ता ने इसके तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसने केवल 05.08.2005 को एक और प्रतिनिधित्व किया, जो कि मान्यता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के कुछ दस साल बाद था। जिन छात्रों को परिणाम का इंतजार करने के लिए कहा गया था, उन्होंने इस स्तर पर एक और विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की, जिसमें सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1829 / 2006 थी। उस याचिका को एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया, और इसलिए उन छात्रों अर्थात अजय कुमार नारला और अन्य ने एलपीए संख्या 609 / 2006 दायर किया। खंड पीठ ने सरकार की ओर से अधिवक्ता के बयान के मद्देनजर 13.02.2007 के आदेश द्वारा उस अपील का निपटारा किया कि मान्यता बहुत जल्द संसाधित की जाएगी और सभी संभावनाओं में, अंतिम रूप से निर्णय चार सप्ताह तक लिया जाएगा।

11. तदनुसार, अपीलकर्ताओं ने उसी दिन अर्थात् 13.02.2007 को शिक्षा आयुक्त को एक और अभ्यावेदन दिया, जिसमें एलपीए संख्या 609/2006 में इस आदेश का उल्लेख किया गया। इसके बाद मानव संसाधन विकास विभाग के आयुक्त ने 16.03.2007 को आदेश ज्ञापन संख्या 57 जारी किया। उन्होंने इस आदेश में दर्ज किया कि विभागीय निरीक्षण समिति ने 1987-89 के बाद से महाविद्यालय को मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया था। अपने आदेश के कंडिका 3 में, आयुक्त ने वास्तव में उल्लेख किया कि इस बीच, एनसीटीई अधिनियम लागू हो गया था, लेकिन महाविद्यालय ने उस अधिनियम के तहत आवश्यक मान्यता के लिए एनसीटीई को कोई आवेदन नहीं किया था। अनुमोदन/मान्यता अब राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं थी। हालाँकि, चूँकि निरीक्षण प्रतिवेदन के मद्देनजर अनुमोदन प्रदान किया जाना चाहिए था, उन्होंने सिफारिश की कि महाविद्यालय को 1987-89 से मान्यता प्राप्त माना जा सकता है। इस आदेश का कंडिका 3 इस प्रकार है: -

"(3) इस प्रक्रिया में, 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् अध्यापक शिक्षा विधेयक 93 पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत, प्रशिक्षण महाविद्यालयों को अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को दे दिया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में संबंधित महाविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्वी क्षेत्र, भुवनेश्वर) के समक्ष अनुमति हेतु आवेदन करना होगा। अनुमोदन/मान्यता से संबंधित मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। परन्तु महाविद्यालय को 1987-89 से 1995 तक मान्यता प्राप्त माना जा सकता है, क्योंकि निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया जाना चाहिए था।"

12. चूँकि परिणाम अभी भी घोषित नहीं हो रहे थे, इसलिए अपीलकर्ता ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7055/2007 के तहत एक और विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की। मामले की सुनवाई कर रहे पटना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने एनसीटीई अधिनियम की धारा 14 और 16 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 14 के तहत, शिक्षक प्रशिक्षण देने वाले संस्थान को अधिनियम लागू होने के छह महीने के भीतर एनसीटीई में मान्यता के लिए आवेदन करना होता है। अपीलकर्ता ने नियत तिथि के बाद ऐसा आवेदन नहीं किया था। अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, केवल एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के छात्र ही योग्यता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अतः, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने 24.08.2007 के आदेश द्वारा याचिका खारिज कर दी।

13. अपीलकर्ता ने 24.08.2007 के आदेश को चुनौती देने के लिए एलपीए संख्या 780/2007 दायर की। हालाँकि, राज्य सरकार ने 16.03.2007 की मान्यता संबंधी अनुशंसा की समीक्षा की और 2.09.2008 के अपने आदेश द्वारा उस आदेश ज्ञापन को रद्द कर दिया, जो ऊपर उल्लिखित धारा 14 और 16 के आधार पर था। मामले के तथ्यों और दोनों धाराओं का उल्लेख करते हुए, इस आदेश दिनांक 2.09.2008 में निम्नलिखित दर्ज किया गया: -

"उपर्युक्त तथ्यों के तहत यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद (एनसीटीई) अधिनियम 1993 के लागू होने के बाद, प्रशिक्षण महाविद्यालयों को मान्यता देने का अधिकार क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का है, न कि राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण का। यह भी आदेश ज्ञापन 57 दिनांक 16.03.07 में निर्धारित किया गया है कि अब मान्यता से संबंधित मामलों पर विचार

करना राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है।

अतः यह स्पष्ट है कि आदेश ज्ञापन 57 दिनांक 16.3.2007 एन.सी.टी.ई. अधिनियम 1993 के प्रावधानों के लिए प्रासंगिक नहीं है। अतः, समीक्षा के पश्चात् आदेश ज्ञापन 57 दिनांक 16.3.07 को शासन के आदेशानुसार निरस्त किया जा रहा है।"

14. अतः जब 2007 की एल.पी.ए. संख्या 780 दिनांक 12.11.2008 को खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत हुई, तब खंडपीठ ने यह अभिलक्षित किया कि आदेश ज्ञापन संख्या 57, दिनांक 16.03.2007 को, पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 02.09.2008 द्वारा वापस ले लिया गया था। फलतः, खंडपीठ के पास एल.पी.ए. को खारिज करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। यही दिनांक 12.11.2008 का आदेश है, जिसे प्रथम विशेष अनुमति याचिका संख्या 6511 की 2009 में चुनौती दी गई है।

15. एलपीए संख्या 780/2007 को खारिज करते हुए, खंड पीठ ने यह स्पष्ट किया कि खंड पीठ का आदेश अपीलकर्ता को स्वतंत्र मूल कार्यवाही के माध्यम से दिनांक 02.09.2008 के आदेश की वैधता और शुद्धता को चुनौती देने से नहीं रोकेगा।

16. तदनुसार अपीलकर्ता ने दिनांक 02.09.2008 के इस आदेश को चुनौती देने के लिए सीडब्ल्यूजेसी संख्या 18181/2008 के तहत एक और विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की। खंड पीठ के समक्ष दो मुद्दे उठाए गए। सबसे पहले, एनसीटीई अधिनियम की वैधता के संबंध में। इस पहलू पर खंड पीठ ने कहा कि शिक्षा का विषय सूची संख्या III (भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची) में प्रविष्टि संख्या 25 पर सूचीबद्ध था और इसलिए, यह अधिनियम केंद्र सरकार की शक्तियों के अंतर्गत था और विधायी क्षमता के कारण इसे खराब नहीं माना जा सकता था। दूसरे, यह तर्क दिया गया कि राज्य सरकार आरोपित आदेश को रद्द नहीं कर सकती थी। खंड पीठ ने कहा कि एनसीटीई अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य सरकार के पास मान्यता देने का कोई अधिकार नहीं है, और इसलिए मान्यता के लिए पहले की सिफारिश को रद्द करने वाले आदेश को अवैध नहीं कहा जा सकता। न्यायालय ने दिनांक 9.2.2009 के अपने आदेश द्वारा याचिका को खारिज कर दिया और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एनसीटीई को समान अनुपात में 30,000 रुपये की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया। दिनांक 09.02.2009 के इसी आदेश को दूसरी विशेष अनुमति याचिका संख्या 9378/2009 में चुनौती दी गई है।

17. जैसा कि पहले कहा गया है, इन दोनों मामलों में विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार के पास 1987-95 की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करने हेतु दिनांक 16.03.2007 का आदेश जारी करने का अधिकार था, जबकि एनसीटीई अधिनियम जुलाई 1995 में ही लागू हो चुका था। परिणामस्वरूप, क्या राज्य सरकार की ओर से दिनांक 02.09.2008 के अपने बाद के आदेश द्वारा दिनांक 16.03.2007 के आदेश को रद्द करने में कोई त्रुटि हुई थी।

18. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन ने दोनों अपीलों में दिए गए दोनों आदेशों, विशेष रूप से उच्च न्यायालय के दिनांक 09.02.2009 के आदेश, की विभिन्न आधारों पर आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के दिनांक 02.09.2008 के आदेश में हस्तक्षेप न करके, दिनांक 16.03.2007 के पूर्व मान्यता आदेश को वापस लेने में त्रुटि की है। उन्होंने बताया कि जिस अवधि के दौरान दिनांक 16.03.2007 का मान्यता आदेश अस्तित्व में था, अपीलकर्ता ने 1987-89 और 1988-90 के दो बैचों के परिणामों की घोषणा के लिए एक और विनिर्दिष्ट आदेश याचिका सीडब्ल्यूजेसी संख्या 6991/2007 दायर की थी, और यह निर्देश विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 06.05.2008 को दिया गया था, और इसे खंड पीठ ने 22.08.2008 के अपने आदेश द्वारा बोर्ड द्वारा दायर एलपीए संख्या 550/2008 की अपील को खारिज करके अप्रभावित छोड़ दिया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि, वास्तव में, दिनांक 06.05.2008 के आदेश के गैर-कार्यान्वयन के कारण, अपीलकर्ता ने एमजेसी संख्या 1747/2008 के तहत अवमानना याचिका दायर की है, और अवमानना की कार्रवाई से बचने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं ने दिनांक 16.03.2007 के मान्यता आदेश को वापस ले लिया है, और यह वापसी दुर्भावनापूर्ण थी।

19. अब, जहाँ तक इस निवेदन का संबंध है, आदेश जारी करने की शक्ति में वैध कारणों से उसे वापस लेने की शक्ति भी शामिल है। इस मामले में यह ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 16.03.2007 के आदेश में भी यह दर्ज किया गया था कि एनसीटीई अधिनियम के लागू होने के बाद, मान्यता से संबंधित मामलों पर विचार करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। फिर भी, यह भी दर्ज किया गया था कि चूँकि निरीक्षण प्रतिवेदन के मद्देनजर अनुमोदन दिया जाना चाहिए था, इसलिए महाविद्यालय को 1987-89 से 1995 तक मान्यता प्राप्त माना जा सकता है। दिनांक 02.09.2008 के वापसी के बाद के आदेश में, उपरोक्त तथ्य दर्ज किया गया है, और फिर यह दर्ज किया गया है कि एनसीटीई

अधिनियम 1993 के लागू होने के बाद, मान्यता देने का अधिकार अब राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के पास नहीं है। इसी कारण से राज्य सरकार ने दिनांक 16.03.2007 के पूर्व आदेश को वापस ले लिया है। यदि कोई प्रशासनिक आदेश किसी की अपनी शक्ति की गलत धारणा पर आधारित है और यदि वह मामले की जड़ तक जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी निश्चित रूप से वैध कारणों से इसकी समीक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा किया जाता है, तो इसे वापस लेना दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता। अपीलकर्ता ने सरकार के दिनांक 2.9.2008 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 16.3.2007 के अपने पूर्व आदेश को वापस ले लिया गया था, और 2.9.2008 के आदेश को उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 9.2.2009 के बाद के आदेश द्वारा अपरिवर्तित छोड़ दिया था, अब विनिर्दिष्ट आदेश याचिका सीडब्ल्यूजेसी 6991/2007 में पारित पूर्व आदेशों के आधार पर किसी भी दलील पर विचार नहीं किया जा सकता है, जो उस समय पारित किए गए थे जब दिनांक 16.3.2007 का पूर्व आदेश विद्यमान था।

20. इसके बाद अपीलकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि एनसीटीई अधिनियम के लागू होने से पहले, राज्य सरकार ही मान्यता देने के लिए अधिकृत थी और *सुनील कुमार परिमल एवं एक अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य* (2007 (10) एससीसी 150) में एनसीटीई अधिनियम को एक भावी कानून माना गया है। यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता अधिनियम के लागू होने के बाद की अवधि के लिए कोई मान्यता नहीं मांग रहा है। वास्तव में उसके बाद अपीलकर्ता संस्थान बंद हो गया है। अपीलकर्ता का कहना है कि चूँकि अधिनियम एनसीटीई अधिनियम के लागू होने से पहले की अवधि के बारे में मौन है, इसलिए राज्य सरकार इस पूर्व अवधि के लिए मान्यता देने का प्राधिकारी बनी हुई है। इस दलील के संबंध में, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सुनील कुमार परिमल (उपरोक्त) के मामले में, राज्य सरकार के बार-बार निर्देशों के बावजूद, परीक्षा बोर्ड तिरहुत शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर की परीक्षा आयोजित करने के अपने कार्य का निर्वहन करने में विफल रहा था। जैसा कि फैसले के कंडिका 19 से पता चलता है, महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा पहले ही मान्यता प्राप्त थी। एनसीटीई द्वारा महाविद्यालय की मान्यता रद्द किए जाने से पहले ही छात्रों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था। बोर्ड की घोर अकुशलता के कारण ही छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई। उस मामले के इन विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का विशेष रूप से हवाला देते हुए उनकी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। इसके विपरीत, वर्तमान

मामले में राज्य सरकार की ओर से किसी भी समय अपीलकर्ता महाविद्यालय के छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति देने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था, न ही एनसीटीई अधिनियम के लागू होने से पहले राज्य सरकार द्वारा मान्यता का कोई औपचारिक आदेश जारी किया गया था। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता 1987-89 से 1995-97 तक के बैच के छात्रों को वर्ष 1994-97 या उसके बाद की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने का निर्देश मांग रहा है। यह एनसीटीई अधिनियम के लागू होने के बाद छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति देने के समान होगा, जबकि पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान को न तो राज्य सरकार और न ही एनसीटीई द्वारा कभी मान्यता प्राप्त थी। स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 16 के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता।

21. न ही राज्य सरकार को अब अपीलकर्ता को पहले की अवधि के लिए मान्यता देने का निर्देश दिया जा सकता है, क्योंकि यह शक्ति नियत दिन के बाद एनसीटीई में निहित हो जाती है। हालांकि, अधिनियम की धारा 14 का प्रावधान ऐसे मौजूदा संस्थान को अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति देता है, जो नियत दिन से छह महीने की अवधि के भीतर एनसीटीई की क्षेत्रीय समिति को मान्यता के लिए आवेदन कर सकता है। अपीलकर्ता ने ऐसा कोई आवेदन नहीं किया है। इसके बाद धारा 16 (बी) में कहा गया है कि नियत दिन के बाद कोई भी परीक्षा निकाय किसी संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए परीक्षा आयोजित नहीं करेगा, जब तक कि उसने एनसीटीई की क्षेत्रीय समिति से मान्यता प्राप्त न कर ली हो। खंड 14 (1) और 16 इस प्रकार हैं:-

> **"14. अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की मान्यता** - (1) नियत दिन को या उसके पश्चात अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली या प्रदान करने का इरादा रखने वाली प्रत्येक संस्था, इस अधिनियम के तहत मान्यता प्रदान करने के लिए, संबंधित क्षेत्रीय समिति को ऐसे प्रारूप में और ऐसे तरीके से आवेदन कर सकती है जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:
>
> बशर्ते कि कोई संस्थान जो नियत दिन से ठीक पहले अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करता है, वह ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को छह महीने की अवधि तक जारी रखने का हकदार होगा, यदि उसने उक्त अवधि के भीतर

मान्यता के लिए आवेदन किया है और क्षेत्रीय समिति द्वारा आवेदन के निपटान तक।

**"16. परिषद द्वारा अनुमति की मान्यता के पश्चात् संबद्धता प्रदान करने वाला निकाय -** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी परीक्षण निकाय, नियत दिन को या उसके पश्चात्,-

(क) किसी भी संस्था को अनंतिम या अन्यथा संबद्धता प्रदान करना; या

(ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए अनंतिम या अन्यथा परीक्षा आयोजित करना,

जब तक कि संबंधित संस्था ने धारा 14 के तहत संबंधित क्षेत्रीय समिति से मान्यता प्राप्त नहीं कर ली हो या धारा 15 के तहत पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए अनुमति प्राप्त नहीं कर ली हो।"

22. अधिनियम की धारा 2(क) के अंतर्गत 'नियत तिथि' को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की तिथि के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 3(1) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि से, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नामक एक परिषद की स्थापना की जाएगी। ऐसी स्थिति में, उस तिथि के बाद राज्य सरकार अपीलकर्ता संस्थान के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती थी और न ही उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर सकती थी। 1995 से पहले, एनसीटीई लगभग 1973 से "अध्यापक शिक्षा" के विकास और प्रगति की देखभाल हेतु एक सरकारी सलाहकार निकाय (न कि एक अलग संस्थान के रूप में) के रूप में अस्तित्व में थी। एनसीटीई उस समय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का केवल एक विभाग था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, 1973 से अपनी पूर्व स्थिति में, अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय थी, जिसका सचिवालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के अध्यापक शिक्षा विभाग में था। शैक्षणिक क्षेत्रों में अपने सराहनीय कार्य के बावजूद, यह अध्यापक शिक्षा के मानकों को बनाए रखने और घटिया अध्यापक शिक्षा संस्थानों के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक नियामक कार्य नहीं कर सका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 और उसके तहत कार्य योजना में अध्यापक शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पहले कदम के रूप में वैधानिक स्थिति और आवश्यक संसाधनों के साथ एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई थी। एनसीटीई अधिनियम, एनसीटीई अधिनियम की

धारा 1(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करके, 1.7.1995 को एस.ओ. 620(ई), दिनांक 1.7.1995 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3(ii), दिनांक 10.7.1995 में प्रकाशित हुआ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक वैधानिक निकाय के रूप में एनसीटीई अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) के अनुसरण में 17.8.1995 को अस्तित्व में आई।

23. अपीलकर्ता ने *जाकिर हुसैन प्राथमिक शिक्षा बनाम बिहार राज्य* के मामले में 16.03.2010 को निर्णीत दीवानी अपील संख्या 8239-8240/2009 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। उस मामले में भी मांगी गई राहत 1979-81 से 1994-96 की अवधि के संबंध में थी। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उस मामले में निदेशक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, प्राथमिक शिक्षा, बिहार ने उक्त संस्थान को 26.04.1995 को मान्यता प्रदान की थी, जो अधिनियम के लागू होने से पहले की बात थी, और उस मान्यता को वापस लेने वाले 4.9.1999 के आदेश को उस याचिका में चुनौती दी गई थी। उस मामले में, इस न्यायालय ने दर्ज किया कि संस्थान की विनिर्दिष्ट आदेश याचिका और एलपीए को उच्च न्यायालय ने केवल देरी और विलम्ब के आधार पर खारिज कर दिया था, और चूंकि इसे समय से पहले खारिज कर दिया गया था, इसलिए बोर्ड को अपना प्रतिवाद दायर करने का अवसर नहीं मिला। इसी कारण से इस न्यायालय ने एकल न्यायाधीश और खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप किया और मामले को पुनर्विचार के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया। वह मामला वर्तमान मामले से बिल्कुल भिन्न है। वर्तमान मामले में, यद्यपि निरीक्षण पहले किया गया था, राज्य सरकार द्वारा एनसीटीई अधिनियम के लागू होने से पहले मान्यता आदेश जारी नहीं किया गया था, और अधिनियम के लागू होने के बाद, उसे जारी करने का अधिकार नहीं रहा।

24. दूसरी ओर, उत्तरदाता के अधिवक्ता ने *एन.एम. नागेश्वरम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* (1986 अनुपूरक एससीसी 166) में प्रवेदित, *सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (महिलाओं के लिए), मदुरै और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य* (1993 (3) धारा 595) में प्रवेदित और *एल. मुथुकुमार और एक अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य* (2000 (7) एससीसी 618) में प्रवेदित, में इस न्यायालय के निर्णयों पर बल दिया। नागेश्वरम्मा में, इस न्यायालय ने कंडिका 3 में निम्नानुसार टिप्पणी की:-

> *"शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान संवेदनशील उम्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं और हम उन मासूम और अनभिज्ञ बच्चों को, जिन्हें उचित और पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं*

*मिला है, शिक्षकों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। यह सच है कि उन्हें परीक्षा पास करनी होगी, लेकिन शायद यह पर्याप्त न हो। किसी शिक्षक को विधिवत रूप से नियुक्त करने से पहले, एक सुव्यवस्थित और सुसज्जित प्रशिक्षण संस्थान में एक निश्चित न्यूनतम अवधि का प्रशिक्षण संभवतः आवश्यक है।"*

*महाराष्ट्र राज्य बनाम विकास साहेबराव रौंदले* (1992 (4) धारा 435) के कंडिका 12 में इस न्यायालय की टिप्पणियां भी काफी शिक्षाप्रद हैं:-

".....ऐसे प्रशिक्षु छात्रों को स्कूल या महाविद्यालय में सुसज्जित करने के लिए सभी सुविधाएँ और उपकरण अत्यंत आवश्यक हैं और इनसे रहित संस्थानों का न तो कोई अस्तित्व है और न ही उन्हें मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है। इस संबंध में, वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन पर बल दिया जाता है। शिक्षा पद्धति और परीक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए मानक और न्यायिक आदेशों में ढील शिक्षा के कुशल प्रबंधन के लिए हानिकारक है।"

25. *एल. मुथुकुमार मामले* (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि केवल सार्वजनिक परीक्षा उत्तीर्ण करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में उचित प्रशिक्षण भी होना चाहिए। जिन संस्थानों को मान्यता नहीं है, उनमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम अपने परीक्षा परिणाम की घोषणा तो मिल सकती है, लेकिन वे शिक्षक प्रशिक्षण में अंकपत्र, प्रमाण पत्र या डिप्लोमा के हकदार नहीं होंगे। न्यायालय ने कंडिका 14 में कहा कि शिक्षकों को मासूम बच्चों को पढ़ाने की अनुमति देने से पहले, उन्हें निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में उचित और पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, अन्यथा बच्चों की शिक्षा का स्तर और भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।

26. इस मामले में, अपीलकर्ता की प्रार्थना है कि इन सभी पूर्व वर्षों के अभ्यर्थियों को बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाए और बाद में उन्हें शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्नातक (बीईटी) की उपाधि प्रदान की जाए। उच्च न्यायालय के दिनांक 3.11.1990 के पहले ही आदेश में इसके लिए दो शर्तें निर्धारित की गई थीं: पहली, छात्रों को परीक्षा में तभी बैठने दिया जाए जब बोर्ड उनकी प्रामाणिकता और वास्तविकता से संतुष्ट हो, और दूसरी, जब तक राज्य सरकार द्वारा मान्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक परिणाम प्रकाशित न किए जाएँ। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि छात्रों को अपने जोखिम पर परीक्षा में

शामिल होना था और इससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। शिक्षक बनने के प्रशिक्षण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पहलू शामिल हैं। उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन इन दोनों पहलुओं पर किया जाना है और केवल सैद्धांतिक परीक्षा पर्याप्त नहीं है। शिक्षक बनने के इच्छुक छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण से गुजरना होगा। संस्था अब बंद हो गई है। बोर्ड इतने वर्षों के बाद छात्रों के दावों (उनके व्यावहारिक प्रशिक्षण से संबंधित प्रविष्टियों सहित) की वास्तविकता और प्रमाणिकता का पता नहीं लगा सकता है ताकि उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल सके। इस संस्थान में संबंधित समय में क्या सुविधाएं उपलब्ध थीं, यह भी अब एनसीटीई द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार अपीलकर्ता के छात्रों को बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि अपीलकर्ता के पास राज्य सरकार या एनसीटीई से मान्यता नहीं है। इस प्रकार, दो आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होती हैं।

27. अपीलकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि अपीलकर्ता संस्थान के छात्रों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और यह भी बताया गया कि इस न्यायालय ने 25.05.2009 को इन अपीलों पर पारित एक अंतरिम आदेश द्वारा सुनील कुमार परिमल मामले (उपरोक्त) में दिए गए फैसले के मद्देनजर इन छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा आयोजित की जानी थी और परिणाम याचिका के फैसले के अधीन घोषित किए जाने थे। इसके अलावा, जैसा कि उत्तरदाताओं के अधिवक्ता ने बताया, अगर ये उम्मीदवार डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर लेते हैं, तो वे मान्यता प्राप्त संस्थानों में उचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की तुलना में सरकारी नौकरी में वरिष्ठता का दावा करेंगे और यह निश्चित रूप से जनहित के लिए हानिकारक होगा। जैसा कि *एल. मुथुकुमार* (उपरोक्त) के मामले में कहा गया है, यदि ऐसे उम्मीदवारों को शिक्षक प्रशिक्षण में अंक-पत्र, प्रमाण पत्र या डिप्लोमा जारी किए जाते हैं, तो यह एनसीटीई अधिनियम के तहत अपेक्षित उचित प्रशिक्षण वाले शिक्षकों की नियुक्ति के उद्देश्य को विफल कर देगा। इससे उन बच्चों की शिक्षा को गंभीर नुकसान होगा जो इन शिक्षकों के अधीन अध्ययन करेंगे। इस न्यायालय ने *सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान* (उपरोक्त) के कंडिका 18 में कहा है कि अंतरिम आदेशों के आधार पर परीक्षा में बैठने वाले शिक्षक ऐसे अंतरिम आदेशों के आधार पर कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन छात्रों ने अपीलकर्ता के संस्थान में जो भी शिक्षा और प्रशिक्षण लिया है, वह उन्हें कुछ निजी स्कूलों में रोजगार पाने में मदद कर सकता है जैसा कि *एल. मुथुकुमार के मामले* (उपरोक्त) में उल्लेख किया गया है, या वे अन्यथा अपीलकर्ता के खिलाफ अपना उपाय मांग सकते हैं।

28. जैसा कि एनसीटीई अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है, यह पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास के लिए अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और छात्रों के विनियमन और उचित रखरखाव के लिए भी पारित किया गया है। अधिनियम की धारा 14 और 16 इसी उद्देश्य से अधिनियमित की गई हैं, और नियत तिथि के बाद शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता एनसीटीई के पास निहित हो जाती है। ये प्रावधान इस निर्णय के आरंभ में दिए गए दो प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले प्रत्येक संस्थान को नियत तिथि के बाद एनसीटीई की क्षेत्रीय समिति से मान्यता प्राप्त करनी होगी। अधिनियम की धारा 14 के अनुसार यह अधिकार केवल क्षेत्रीय समिति में निहित है। राज्य सरकार नियत तिथि के बाद उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। न ही परीक्षा निकाय नियत तिथि के बाद किसी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों की परीक्षा आयोजित कर सकता है, जब तक कि संस्थान को अधिनियम की धारा 16 में निर्धारित एनसीटीई की क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता प्राप्त न हो। इन प्रावधानों को उन बच्चों की शिक्षा के हित में पूरी ताकत से लागू किया जाना चाहिए जिन्हें ये शिक्षक आगे चलकर पढ़ाएँगे, और स्वयं शिक्षक-अभ्यर्थियों के लिए भी, और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में उचित मानक और मानदंड स्थापित करने के लिए। वर्तमान मामले में, दिनांक 16.3.2007 का मान्यता प्रदान करने वाला आदेश राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर था और इसलिए सरकार द्वारा दिनांक 2.9.2008 के बाद के आदेश द्वारा इसे रद्द करना बिल्कुल सही था।

29. अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेने में की गई देरी के कारण उसके छात्रों को परेशानी नहीं उठानी चाहिए। हम उन छात्रों की पीड़ा को अच्छी तरह समझते हैं जो अपीलकर्ता संस्थान में वास्तविक रूप से शामिल हो सकते थे। हमें बताया गया है कि अपीलकर्ता संस्थान एक पिछड़े क्षेत्र में है और छात्र समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से आते हैं। ऐसे छात्रों को पढ़ाने का दावा करने वाले संस्थान को और अधिक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और अधिक सावधान और मेहनती होना चाहिए। जब 1995 में एनसीटीई अधिनियम लागू हुआ था, तो संस्थान को निर्धारित समय के भीतर संबंधित अधिकारियों को पूरी लगन से आवेदन करना चाहिए था। इसके तहत ऐसा न करने पर, अपीलकर्ता संस्थान ही उस स्थिति के लिए जिम्मेदार है जिसमें छात्र फंस गए हैं। पहले जो बताया गया है, उससे यह पता चलता है कि एनसीटीई अधिनियम के लागू होने से पहले भी, उच्च न्यायालय के दिनांक 3.11.1990 के आदेश के बावजूद, अपीलकर्ता ने

27.3.1993 तक राज्य सरकार को संस्थान के निरीक्षण के लिए आवेदन और निर्धारित प्रारूप में आवश्यक विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। छात्रों ने 24.1.1991 को आयोजित 1987-1989 बैच की परीक्षा (जो उच्च न्यायालय के 3.11.1990 के आदेश के अनुसरण में आयोजित की गई थी) के परिणाम की घोषणा के लिए विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या सीडब्ल्यूजेसी 517/1998 दायर करके वर्ष 1998 में विलम्ब से अपनी समस्या का समाधान भी मांगा। जब यह याचिका दायर की गई, तब तक एनसीटीई अधिनियम 1.7.1995 को लागू हो चुका था, और इसलिए यद्यपि राज्य सरकार ने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या सीडब्ल्यूजेसी 517/1998 में दिनांक 28.1.1998 के निर्देश और 1987 से 1995 की अवधि के लिए एल पी ए संख्या 609/2006 में दिनांक 13.2.2007 के आदेश के अनुसरण में अपीलकर्ता के मामले पर विचार किया, परन्तु यह महसूस करने पर कि अब उसके पास मान्यता प्रदान करने का अधिकार नहीं है, उसने उसे रद्द कर दिया। इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलकर्ता और छात्र भी अपने मामले को आगे बढ़ाने में तत्पर नहीं थे, जिसके कारण बताए नहीं गए हैं। छात्रों के इस दुर्भाग्य के लिए केवल राज्य सरकार को उसकी प्रारंभिक निष्क्रियता के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

30. फिर भी, हमारे विचार से, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 18181/2008 के आदेश का वह भाग, जिसमें अपीलकर्ता पर 30,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था, अपेक्षित नहीं था। इसे हटा दिया जाना चाहिए।

31. इन परिस्थितियों में, हमें दोनों आदेशों में कोई त्रुटि नहीं दिखती। तदनुसार, दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं। हालाँकि, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 18181/2008 के आदेश को ₹30,000/- की लागत हटाने के लिए संशोधित किया गया है। जहाँ तक वर्तमान कार्यवाही का संबंध है, इन दोनों अपीलों में लागत का कोई आदेश नहीं होगा। दोनों अपीलों के खारिज होने के मद्देनजर, उनमें लंबित सभी अंतरिम आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

डी जी

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**